

पत्रावली मात्र प्रशासन गांवों के संग  
मन्थान २०२। शिविर स्थल विनायकपुरा  
में प्रस्तुत हुई। वकील प्राथमिक उपस्थित  
वकील प्राथमिक ने वदस में कथन किया  
कि वाद ग्रस्त आराजी ग्राम उजलिखा  
तहसील बाकरी की सदर में प्राथमिक  
की कृषि भूमि खसरा नं. ४६५ रकबा  
पकीचा ०४ बिस्वा आरि हुई है। उक्त  
कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में लिपिक  
शुद्धेश केकाराम की जगह हुमानराम दर्ज  
हो गया। जबकि पक्षी के सही हस्तावली  
में नाम केकाराम ही ग्राम पंचायत विनायक  
पुरा खसरा नं. शपथ प्रत्येक बयाना में  
कहा कि केकाराम तथा हुमानराम दोनों  
एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा तहसीलदार  
बाकरी की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार  
श्री केकाराम तथा हुमानराम दोनों एक  
ही व्यक्ति के नाम हैं।

अतः तहसीलदार बाकरी को  
आदेशित किया जाता है कि ग्राम उजलिखा  
के कृषि भूमि खसरा नं. ४६५ रकबा  
पकीचा ०४ बिस्वा में नाम शुद्ध  
हुमानराम की जगह केकाराम दर्ज

संस्थान  
दुपम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल प्रामाण्य  
कर। तद्विषयक वाक्य की मौका  
जांच रिपोर्ट इस आदेश का भाग  
रही। तद्विषयक वाक्य का आदेश  
पालनाथ तद्विषय जारी है। पञ्जावली  
की अमल शुभार होकर नम्बर से कम  
होकर दाखिल दफ्तर है।

अध्यक्ष कलेक्टर एवं  
अध्यक्ष अंशकारी, व्यापक